

सराहनीय कार्य - माह सितम्बर – 2026

थाना – मटेरा

24 घंटे के भीतर चैन स्नैचिंग की घटना का सफल अनावरण, पुलिस मुठभेड़ में शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, घटना से संबंधित मंगलसूत्र, चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा व नकदी बरामद

दिनांक – 03.09.2026

मु0अ0सं0 व धारा –

पंजीकृत मु0अ0सं0 139/2026 धारा 109(2)/3(5)बी0एन0एस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मटेरा बहराइच ।
अनावरित मु0अ0सं0 138/2026 धारा 304(2) बी0एन0एस0 थाना मटेरा जनपद बहराइच

गिरफ्तार अभियुक्त –

- खुल्ली उर्फ तूफान उर्फ रकीब पुत्र मुग्गर निवासी आगापुरवा थाना कोतवाली देहात जनपद बहराइच उम्र करीब 22 वर्ष ।

बरामदगी –

- घटना से संबंधित मंगलसूत्र पीली धातु
- 01 तमंचा .315 बोर
- 01 खोखा कारतूस .315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर
- 01 मोटरसाइकिल होण्डा शाइन UP32GW4289
- ₹4850 नगद

विवरण-

दिनांक 01.09.2026 को थाना मटेरा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि वादिनी गंगोत्री पत्नी सुरेन्द्र, निवासी सुआगाड़ा, थाना कोतवाली, जनपद लखीमपुर, अपने फूफा हरिद्वार पिता शंकरपुर, निवासी जंगलीनाथ, थाना नानपारा के यहां से वापस अपने घर आ रही थीं। इसी दौरान गुलालपुरवा टोल प्लाजा से पहले दो अज्ञात बाइक सवारों द्वारा झपट्टा मारकर उनका मंगलसूत्र छीनकर फरार हो जाने की घटना घटित हुई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मटेरा पर मु0अ0सं0 138/2026 धारा 304(2) पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक बहराइच द्वारा घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए तीन पुलिस टीमों का गठन कर घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। गठित पुलिस टीमों द्वारा घटनास्थल एवं आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का अवलोकन किया गया, जिससे दोनों अपराधियों के संबंध में महत्वपूर्ण सुराग प्राप्त हुए। पुलिस टीमों लगातार अभियुक्तों की तलाश में लगी हुई थीं।

इसी क्रम में दिनांक 02/03.09.2026 की रात्रि को क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम एवं थाना मटेरा पुलिस की संयुक्त टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 02.09.2026 को दो बदमाश चोरी की मोटरसाइकिल लेकर मटेरा से शंकरपुर-नानपारा रोड पर बिलवा नहर मोड़ की ओर जा रहे हैं। पुलिस टीम द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने की नियत से फायर कर दिया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त के दायें पैर में गोली लगी, जिससे वह मौके पर गिर गया और पुलिस टीम द्वारा

उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान फुल्ली उर्फ तूफान उर्फ रकीब पुत्र मुग्गर, निवासी अगपुरब शेख दाहिर, थाना कोतवाली देहात के रूप में हुई। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु सीएचसी रिसिया रवाना किया गया। अभियुक्त का एक साथी असलम, मोटरसाइकिल संख्या UP40BF6651 से नानपारा की तरफ फरार हो गया, जिसकी तलाश हेतु पुलिस टीमों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त फुल्ली उर्फ तूफान उर्फ रकीब के कब्जे से एक देशी तमंचा 315 बोर, एक चोरी की मोटरसाइकिल होंडा शाइन UP32GW4289 तथा घटना से संबंधित एक मंगलसूत्र पीली धातु बरामद हुआ। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक बहराइच श्री विश्वजीत श्रीवास्तव एवं अन्य अधिकारीगण द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उपरोक्त घटना के संबंध में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तारी टीम:-

थाना मटेरा

- प्रभारी निरीक्षक श्री प्रेमपाल सिंह
- उ0नि0 श्री सूर्यकान्त चौबे
- उ0नि0 श्री विजय चौधरी
- उ0नि0 श्री फूलचन्द मौर्या
- उ0नि0 श्री शुभनाथ यादव
- हे0का0 दिग्विजय सिंह
- हे0का0 हृदय नरायन तिवारी
- हे0का0 रामजीत यादव
- हे0का0 वीरेन्द्र गुप्ता
- हे0का0 जनार्दन वर्मा
- का0 अरविन्द वर्मा
- का0 सचिन सिंह
- का0 सुनील मिश्रा

स्वॉट टीम

- प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार
- उ0नि0 श्री राशिद अली
- हे0का0 मो0 अख्तर
- हे0का0 राजेन्द्र यादव
- का0 नरोत्तम पुरी
- का0 नितिन अवस्थी

थाना – नानपारा

चैन स्नैचिंग की घटना में फरार ₹25000 का शातिर इनामिया अपराधी पुलिस मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार

दिनांक – 04.09.2026

मु0अ0सं0 व धारा –

पंजीकृत- मु0अ0सं0 329/2026 धारा 109(1) बीएनएस, 3/25/27 आयुध अधिनियम, 207 मोटरयान अधिनियम
थाना नानपारा बहराइच ।

संबंधित - मु0अ0सं0 138/2026 धारा 304(2) बी0एन0एस0 थाना मटेरा जनपद बहराइच ।

मु0अ0सं0 139/2026 धारा 109(2)/3(5)बी0एन0एस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मटेरा बहराइच ।

गिरफ्तार अभियुक्त –

- असलम उर्फ साहिल उर्फ सुहैल पुत्र सुग्घर निवासी अगपुरबा थाना कोतवाली देहात जनपद बहराइच

बरामदगी –

- 01 चोरी की मोटरसाइकिल UP40BF6651
- 02 मोबाइल
- 01 देशी तमंचा .315 बोर
- 01 जिंदा कारतूस .315 बोर
- 01 खोखा कारतूस .315 बोर

विवरण-

दिनांक 01.09.2026 को थाना मटेरा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि वादिनी गंगोत्री पत्नी सुरेन्द्र, निवासी सुआगाड़ा, थाना कोतवाली, जनपद लखीमपुर, अपने फूफा हरिद्वार पिता शंकरपुर, निवासी जंगलीनाथ, थाना नानपारा के यहां से वापस अपने घर आ रही थीं। इसी दौरान गुलालपुरवा टोल प्लाजा से पहले दो अज्ञात बाइक सवारों द्वारा झपट्टा मारकर उनका मंगलसूत्र छीनकर फरार हो जाने की घटना घटित हुई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मटेरा पर मु0अ0सं0 138/2026 धारा 304(2) पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक बहराइच द्वारा घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए तीन पुलिस टीमों का गठन कर घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। गठित पुलिस टीमों द्वारा घटनास्थल एवं आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का अवलोकन किया गया, जिससे दोनों अपराधियों के संबंध में महत्वपूर्ण सुराग प्राप्त हुए। इसी क्रम में दिनांक 02/03.09.2026 की रात्रि को क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम व थाना मटेरा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अपराधी फुल्ली उर्फ तूफान उर्फ रकीब पुत्र मुग्गर निवासी अगपुरबा शेख दहीर थाना कोतवाली देहात को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जिला कारागार भेजा जा चुका है।

उक्त मुठभेड़ के दौरान मौके का फायदा उठाकर उसका एक साथी असलम उर्फ साहिल उर्फ सुहैल पुत्र सग्गर निवासी अगपुरबा थाना कोतवाली देहात फरार हो गया था, जिसकी पुलिस टीमों द्वारा लगातार तलाश की जा रही थी। उक्त अपराधी पर पुलिस अधीक्षक बहराइच द्वारा ₹25,000/- का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस टीमों लगातार इस अपराधी की तलाश कर रही थीं। इसी क्रम में आज दिनांक 03/04.09.2026 की रात्रि को क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम व

थाना को० नानपारा पुलिस की संयुक्त टीम को मुखबिर खास के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि असलम, जो थाना मटेरा की चैन स्नैचिंग की घटना में वांछित है, चोरी की मोटरसाइकिल लेकर नानपारा निबिया नहर पुलिया होते हुए रुपईडीहा जाने वाले मार्ग से नेपाल भागने का प्रयास कर रहा है। प्राप्त सूचना पर नानपारा पुलिस और स्वाट टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी, उसी समय एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया तो उसके द्वारा पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने की नियत से फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में उक्त व्यक्ति के बाएं पैर में गोली लगी और वह गिर गया, जिसे पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसकी पहचान इनामिया अपराधी असलम के रूप में हुई। उसे उपचार हेतु सीएचसी नानपारा रवाना किया गया। असलम के कब्जे से ०१ चोरी की मोटरसाइकिल UP40BF6651, ०२ अदद मोबाइल, ०१ अदद देशी तमंचा ३१५ बोर, ०१ जिंदा कारतूस व ०१ अदद खोखा कारतूस .३१५ बोर बरामद हुआ। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक बहराइच श्री विश्वजीत श्रीवास्तव एवं अन्य अधिकारीगण द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उपरोक्त घटना के संबंध में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तारी टीम:-

थाना नानपारा

- थानाध्यक्ष श्री गुरुसेन सिंह
 - उ०नि० सौरभ पाण्डेय
 - उ०नि० कामेश्वर राय
 - हे०का० महेश कुमार तिवारी
 - हे०का० प्रमोद यादव
 - का० आलोक विक्रम सिंह
 - का० सुशील सिंह
 - का० पवन यादव
 - का० अवनीश पाण्डेय
 - का० अमित सिंह
 - का० संदीप पासवान
-
- स्वाॅट टीम
 - प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार सिंह
 - उ०नि० राशिद अली
 - उ०नि० पुर्णेश पाण्डेय
 - हे०का० अजीत चन्द
 - हे०का० सुधीर कुमार
 - हे०का० प्रदीप कुशवाहा
 - का० धर्मेन्द्र

थाना – दरगाह शरीफ
गैंगेस्टर एक्ट के 03 वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार

दिनांक – 04.09.2026

मु0अ0सं0 व धारा – मु0अ0सं0 395/2026 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगेस्टर अधिनियम

गिरफ्तार अभियुक्त –

- 1.पप्पू पुत्र दोस्त मोहम्मद निवासी नाजिरपुरा थाना को0नगर जनपद बहराइच
- 2.मो0 हनीफ पुत्र कलाम अहमद निवासी नाजिरपुरा निकट पप्पू इलेक्ट्रिक थाना को0नगर जनपद बहराइच
- 3.मो0 इमरान अली पुत्र बदरी मियां निवासी ग्राम पतिलार थाना चौतरवा जिला बेतिया बिहार, हाल पता सजनू के मकान में त्रिमुहानी रोड पर एक्सेल स्टेरिंग रिपेयरिंग की दुकान थाना को0देहात जनपद बहराइच

विवरण-

श्रीमान जिलाधिकारी, बहराइच महोदय द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट, पुलिस अधीक्षक महोदय बहराइच द्वारा दिये गये आदेशों निर्देशों के क्रम में थाना दरगाह शरीफ पर मु0अ0सं0-395/2026, धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 पंजीकृत किया गया था। प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा संगठित रूप से आर्थिक, भौतिक एवं अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कमजोर एवं असहाय महिलाओं से कथित रूप से भौतिक/आर्थिक प्रलोभन के माध्यम से गंभीर अपराध कारित किए जाने के संबंध में तथ्य प्रकाश में आए। उक्त गतिविधियों से समाज में भय एवं आक्रोश का वातावरण उत्पन्न होने तथा लोक व्यवस्था प्रभावित होने के दृष्टिगत अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गई तथा अभियोग से संबंधित अभियुक्तगण गैंग लीडर पप्पू पुत्र दोस्त मोहम्मद व सदस्य 2.मो0 हनीफ पुत्र कलाम अहमद 3.मो0 इमरान अली पुत्र बदरी मियां को दिनांक 04.09.2026 को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय, बहराइच के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री अमितेन्द्र सिंह
2. व0उ0नि0 चन्द्र प्रताप सिंह,
3. उ0नि0 अमरनाथ,
4. उ0नि0 महेश चन्द उपाध्याय,
5. हे0का0 सुधाकर शर्मा,
6. का0 अनुराग शर्मा,
7. का0 नितिन कुमार थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच

थाना – मटेरा

जबरन वसूली / रंगदारी मांगने का आरोपी गिरफ्तार

दिनांक – 06.09.2026

मु0अ0सं0 व धारा –

मु0अ0सं0 142/2026 धारा 308(5)/351(3) बीएनएस पंजीकृत

गिरफ्तार अभियुक्त –

मो0 उमर पुत्र मो0 शमी उर्फ टुन्ना उम्र करीब 45 वर्ष निवासी अमवा मौलवी थाना मटेरा जनपद बहराइच

विवरण-

दिनांक 05.09.2026 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्त मो0 उमर पुत्र मो0 शमी उर्फ टुन्ना, उम्र करीब 45 वर्ष, निवासी अमवा मौलवी, थाना मटेरा, जनपद बहराइच द्वारा दिनांक 02.09.2026 को दुकान चलाने के नाम पर वादी को डरा धमका कर 25,000/- रुपये की रंगदारी मांगने के संबंध में उसे मोहरबा क्षेत्र में बुलाया गया था, जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 142/2026 धारा 308(5)/351(3) बीएनएस पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त मो0 उमर पुत्र मो0 शमी उर्फ टुन्ना को दिनांक 06.09.2026 को रेलवे अंडरपास, मटेरा बाजार से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जनपद बहराइच एवं अन्य थानों में पूर्व से आपराधिक अभियोग पंजीकृत होने की जानकारी प्राप्त हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए उसे माननीय न्यायालय बहराइच के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीम:-

1. उ0नि0 श्री धात्रिशंकर सहाय
2. का0 वीरपाल
3. का0 सचिन सिंह

थाना – रानीपुर

जनपद श्रावस्ती में ₹25,000 का पुरस्कार घोषित वांछित अपराधी गिरफ्तार,
अवैध .12 बोर तमंचा व कारतूस बरामद

दिनांक – 06.09.2026

मु0अ0सं0 व धारा –

मु0अ0सं0 169/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम

गिरफ्तार अभियुक्त –

- 1.थानाध्यक्ष श्री हरेन्द्र नाथ राय
- 2.व0उ0नि0 श्री रामकेश
- 3.उ0नि0 श्री रवि प्रकाश सिंह
- 4.का0 भगवानदीन
- 5.का0 राकेश भारती
- 6.का0 चंद्र किशोर यादव
- 7.का0 राहुल गौड़

बरामदगी –

01 अदद नाजायज तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

विवरण-

पुलिस अधीक्षक जनपद श्रावस्ती द्वारा दिनांक 18.08.2026 को मु0अ0सं0 107/2026, धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट, थाना गिलौला, जनपद श्रावस्ती से संबंधित वांछित अभियुक्त अनवर अली पुत्र रमजान अली, निवासी बेचनपुरवा, दा0 सरवा, थाना रानीपुर, जनपद बहराइच, उम्र करीब 35 वर्ष के विरुद्ध ₹25,000/- का पुरस्कार घोषित किया गया था।

पुलिस अधीक्षक बहराइच द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीपुर पुलिस द्वारा दिनांक 06.09.2026 को रात्रि गश्त के दौरान दुर्गूपुर नहर पुलिया के पास से उक्त वांछित अभियुक्त अनवर अली को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा .12 बोर एवं एक अदद जिन्दा कारतूस .12 बोर बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 169/2026, धारा 3/25 आयुध अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई। गिरफ्तार अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में माननीय न्यायालय बहराइच के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीम:-

- 1.थानाध्यक्ष श्री हरेन्द्र नाथ राय
- 2.व0उ0नि0 श्री रामकेश
- 3.उ0नि0 श्री रवि प्रकाश सिंह
- 4.का0 भगवानदीन
- 5.का0 राकेश भारती
- 6.का0 चंद्र किशोर यादव
- 7.का0 राहुल गौड़

शाखा – सर्विलांस सेल

जनपदीय पुलिस एवं सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम द्वारा 107 खोये हुए मोबाइल अनुमानित कीमत करीब ₹26,12,830 (छब्बीस लाख बारह हजार आठ सौ तीस) को बरामद कर मोबाइल स्वामियों को किये सुपुर्द

दिनांक – 06.09.2026

बरामदगी –

कुल 107 मोबाइल फोन, अनुमानित कीमत लगभग ₹ 26,12,830

विवरण-

पुलिस अधीक्षक बहराइच द्वारा जनपद में खोये हुए मोबाइल फोनों की बरामदगी हेतु सर्विलांस टीम एवं समस्त थाना प्रभारी/थानाध्यक्षों के नेतृत्व में टीमों का गठन कर अभियान चलाया गया। जनपदीय सर्विलांस टीम द्वारा सभी थानों से समन्वय स्थापित कर भारत सरकार द्वारा संचालित सीईआईआर पोर्टल की प्रतिदिन मॉनीटरिंग की गई। इस क्रम में जनपदीय पुलिस टीमों द्वारा विभिन्न कम्पनियों जिनमें एप्पल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, टेक्नो, रेडमी, वन प्लस आदि कंपनियों के गुमशुदा 107 मोबाइल फोन सफलतापूर्वक बरामद किये गये, जिन्हें आज दिनांक 06-09-2026 को पुलिस अधीक्षक बहराइच द्वारा उनके वास्तविक मोबाइल धारकों को सुपुर्द किया गया। अपने खोये हुए मोबाइल फोन पुनः प्राप्त कर मोबाइल धारकों द्वारा पुलिस अधीक्षक बहराइच एवं जनपदीय पुलिस की भूरी-भूरी प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

जनहित में अपील-

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक बहराइच द्वारा आमजन से अपील की गई कि वे अपने मोबाइल फोन में 'संचार सारथी एप को प्ले-स्टोर से डाउनलोड कर लें, जिससे भविष्य में मोबाइल खो जाने की स्थिति में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आवश्यक सूचनाएं प्राप्त होती रहें। मोबाइल खोने की स्थिति में मोबाइल की बिल/आईएमईआई, आधार कार्ड एवं पहचान पत्र के साथ अपने स्थानीय थाने पर उपस्थित होकर सीईआईआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। मोबाइल मिलने की स्थिति में पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होती रहेगी। पुलिस अधीक्षक बहराइच द्वारा खोये हुए मोबाइलों की बरामदगी में उत्कृष्ट कार्य करने वाली सर्विलांस टीम को पुरस्कृत किये जाने की घोषणा भी की गई।

बरामदगी टीम:-

सीईआईआर पोर्टल पर नियुक्त कर्मी एवं थाना स्तर पर गठित मोबाइल रिकवरी टीम।

थाना –

- बहराइच पुलिस की बड़ी कार्यवाही
- थाना रुपईडीहा पुलिस एवं SSB की संयुक्त टीम द्वारा 116 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 01 महिला तस्कर गिरफ्तार
- बरामद स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग ₹35 लाख
- ₹21029 भारतीय व 23,800 रुपये नेपाली बरामद

दिनांक – 07.09.2026

मु0अ0सं0 व धारा – मु0अ0सं0 - 237/2026 धारा 8/21 NDPS ACT थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच

गिरफ्तार अभियुक्त –

- शकीला बीबी पत्नी मो0 इस्लाम उर्फ लालबादशाह उम्र करीब 40 वर्ष निवासी दशहरा बाग, नई बस्ती थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच

बरामदगी –

1. 116 ग्राम नाजायज स्मैक
2. 01 मोबाइल फोन VIVO V60
3. ₹21029 भारतीय व 23,800 रुपये नेपाली

विवरण-

मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 06.09.2026 की रात्रि थाना रुपईडीहा पुलिस एवं SSB की संयुक्त टीम द्वारा थाना चेकिंग के दौरान थाना रुपईडीहा क्षेत्रान्तर्गत दशहरा बाग, थाना रुपईडीहा, जनपद बहराइच में संदिग्ध गतिविधि के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया जिसकी पहचान शकीला बीबी पत्नी मो0 इस्लाम उर्फ लालबादशाह के रूप में हुई जिसके कब्जे से 116 ग्राम अवैध स्मैक, भारी मात्रा में भारतीय व नेपाली रुपये बरामद हुई। बरामद मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग ₹35 लाख है। बरामदगी के आधार पर थाना रुपईडीहा पर मु0अ0सं0 237/2026, धारा 8/21 NDPS Act के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्ता के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई पूर्ण करते हुए अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय, बहराइच रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीम:-

थाना रुपईडीहा पुलिस टीम

1. प्र0नि0 श्री हरेन्द्र कुमार मिश्र
2. उ0नि0 श्री अब्दुल कादिर
3. मु0आ0 नगेन्द्रसिंह
4. आ0 अभिषेक राय
5. आ0 अभिषेक सिंह
6. आ0 सुवेन्द्र यादव

7. आ० रविन्द्र यादव
8. आ० राम अवध यादव
9. आ० सूरज यादव
10. आ० कन्हैया सिंह
11. आ० सुभेन्द्र चौहान
12. म०आ० बैजन्ती राजपूत
13. म०आ० शालिनी यादव
14. म०आ० कनक सरोज
15. म०आ० मान्यता त्रिवेदी

एसएसबी टीम

1. उ०नि०/स० यशपाल सिंह
2. का०/स० विनेश कुमार
3. का० सहायक दीन दयाल चौहान
4. म०का०/स० ममता भैरवा
5. म०का०स० अनीतू
6. डाग हैण्डलर मो० फारूख के मय डाग रैंक
7. F-COY 42 BN SSB नानपारा

थाना – रुपईडीहा
51 ग्राम नाजायज स्मैक के साथ अभियुक्त गिरफ्तार
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद स्मैक की अनुमानित कीमत ₹15 लाख
मोटरसाइकिल, मोबाइल आदि बरामद

दिनांक – 08.09.2023

मु0अ0सं0 व धारा – मु0अ0सं0 - 238/2026 धारा 8/21 NDPS ACT थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच

गिरफ्तार अभियुक्त –

चाँद बाबू पुत्र इकबाल उम्र करीब 24 वर्ष निवासी चितवन मोहल्ला थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच

बरामदगी –

1. 51 ग्राम नाजायज स्मैक
2. 01 मोटर साइकिल TVS अपाचे UP40BQ2541
3. 01 मोबाइल फोन VIVO
4. 250 रुपये नगद

विवरण-

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व विक्रय पर रोकथाम हेतु दिये गये आदेशनों निर्देशों के क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री हरेन्द्र कुमार मिश्र के कुशल नेतृत्व में दिनांक 07.09.2026 को थाना रुपईडीहा पुलिस व SSB की संयुक्त टीम द्वारा पिलर संख्या 651/2 के पास से एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर पूछताछ व तलाशी ली गयी तो अभियुक्त की पहचान अभियुक्त चाँद बाबू पुत्र इकबाल उम्र करीब 24 वर्ष निवासी चितवन मोहल्ला थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच के रूप में हुई जिसके कब्जे से 51 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना रुपईडीहा पर मु0अ0सं0 - 238/2026 धारा 8/21 NDPS ACT पंजीकृत किया गया तथा नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त चाँद बाबू उपरोक्त को अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय बहराइच खाना किया गया।

गिरफ्तारी टीम:-

रुपईडीहा

प्र0नि0 श्री हरेन्द्र कुमार मिश्र

उ0नि0 अरुण कुमार सिंह

का0 अभिषेक सिंह

का0 अभिषेक राय

का0 सोविन्द्र यादव

का0 रविन्द्र यादव थाना रुपईडीहा

एसएसबी

SI/GD श्री भूपेन्द्र सिंह,
CT/GD परदेशी करतार सिंह
CT/GD अजय,
CT/GD दीनदयाल चौहान
डाग हैण्डलर CT/GD रामनिवास जट मय डाग रैंको
679 F COY 42 BN SSB बहराइच

थाना – रुपईडीहा

अवैध तमंचा .315 बोर व जिन्दा कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, मोटरसाइकिल सीज

दिनांक – 09.09.2026

मु0अ0सं0 व धारा –

मु0अ0सं0 -240/2026 धारा 3/25 A. ACT थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच

गिरफ्तार अभियुक्त –

शेर खाँ पुत्र नसीर निवासी ग्राम गुप्तावरपुरवा दा0 शंकरपुर थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच

बरामदगी –

- एक अदद तमंचा नाजायज 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस
- एक अदद मोटरसाइकिल Honda Shine 100 DX नं0 UP40BQ1643 धारा 207 MV Act में सीज
- 140 रुपये आदि

विवरण-

दिनांक 09.09.2026 को थाना रुपईडीहा पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम गड़रहवा स्थित बलराम भट्टा के पास से अभियुक्त शेर खाँ पुत्र नसीर, निवासी ग्राम गुप्तावरपुरवा, डाकघर शंकरपुर, थाना रुपईडीहा, जनपद बहराइच को हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना रुपईडीहा पर मु0अ0सं0 240/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए उसे माननीय न्यायालय, बहराइच के समक्ष पेश करने हेतु रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीम:-

1. उ0नि0 धनजी सिंह
2. का0 विवेक सिंह
3. का0 मो0 तनवीर खाँ
4. का0 अनुप कुमार

थाना – रुपईडीहा

- बहराइच पुलिस की अवैध मादक द्रव्यों की तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही
- तस्करी में सम्मिलित नेपाल राष्ट्र के नागरिक पति-पत्नी व उनके सहयोगी बस चालक व सह चालक सहित कुल 04 अभियुक्तगण गिरफ्तार
 - 04.917 किग्रा अवैध अफीम बरामद
 - बरामद अफीम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत ₹60 लाख
 - तस्करी में प्रयुक्त ट्रैवलर वाहन, 04 मोबाइल, भारतीय/नेपाली रुपये बरामद

दिनांक – 09.09.2026

मु0अ0सं0 व धारा –

मु0अ0सं0 241/2026 धारा 8/18/29/60 NDPS ACT व 61(2) बीएनएस थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. चट्टान बसनेर निवासी ग्राम बारेकोट वार्ड NO. 05 थाना सिलिगी जिला जाजरकोट राष्ट्र नेपाल
2. गीता खत्री पत्नी चट्टान बसनेर निवासी ग्राम बारेकोट वार्ड NO. 05 थाना सिलिगी जिला जाजरकोट राष्ट्र नेपाल
3. देवेन्द्र बुढा पुत्र श्रीधन बहादुर सिंह निवासी दारलिग वार्ड नं0 4 थाना बुर्ती बंगलो प्रदेश बागमति, राष्ट्र नेपाल
4. राजकुमार पुत्र टिकाराम निवासी ग्राम सिंह निवास नार्थ ओक संजौली आर 1 टी थाना संजौली जिला शिमला हिमांचल प्रदेश

बरामदगी –

1. 4.917 ग्राम नाजायज अफीम
2. एक ट्रैवलर्स वाहन HP01A8898
3. 04 अदद मोबाइल फोन (टेक्नो स्पाक 8, Poco C51, Oppo रायनो 2Z, Oppo 17 प्रो
4. 4310 रुपये नेपाली व 6510 रुपये भारतीय

विवरण-

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व विक्रय पर रोकथाम हेतु दिये गये आदेशों निर्देशों के क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री हरेन्द्र कुमार मिश्र के कुशल नेतृत्व में थाना रुपईडीहा पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 09.09.2026 को थाना रुपईडीहा क्षेत्रान्तर्गत भारत-नेपाल सीमा से बहराइच मार्ग पर जैतापुर मोड़ से पहले पुराने बस स्टॉप के पास से एक ट्रैवलर वाहन नं0 HP01A8898 को रोककर चेक किया गया तो ट्रैवलर वाहन में यात्री के रूप में सवारी कर रहे नेपाली नागरिक चट्टान बसनेर एवं उसकी पत्नी गीता खत्री के कब्जे से एक काले रंग के बैग में कुल 04.917 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद हुई। चट्टान बसनेर व गीता खत्री उक्त अवैध अफीम को ट्रैवलर चालक राम कुमार पुत्र टीकाराम एवं सह-चालक देवेन्द्र बुढा पुत्र श्रीधन बहादुर सिंह के सहयोग से लेकर जा रहे थे। इस प्रकार कुल 04 अभियुक्तगण 1.चट्टान बसनेर, 2.गीता खत्री पत्नी चट्टान बसनेर, 3.राम कुमार पुत्र टिकाराम, 4.देवेन्द्र बुढा पुत्र श्रीधन बहादुर सिंह को नियमानुसार हिरासत में लेकर बरामदगी के आधार पर थाना रुपईडीहा पर मु0अ0सं0 -241/2026 धारा 8/18/29/60 NDPS ACT व 61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तार

अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण कर अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तारी टीम:-

प्र०नि० श्री हरेन्द्र कुमार मिश्र

नि०अ० श्री गणेश तिवारी

उ०नि० श्री धर्मेन्द्रसिंह

हे०का० उमेश यादव

का० सोविन्द्र यादव

का० रविन्द्र यादव

का० अभिषेक सिंह

का० अभिषेक राय

म०का० निहारिका मौर्या

म०का० शालिनी यादव

एसएसबी टीम

डिप्टी कमाण्डेन्ट श्री शशि भूषण

SI/GD भूपेन्द्र सिंह

CT/GD दुर्गेश कुमार शुक्ला

CT/GD विनोद कुमार

CT/GD पंकज कुमार

CT/GD दीनदयाल चौहान

डाग हैंडलर CT/GD सौरभ जोशी मय डाग मारिया

F COY 42 BN SSB बहराइच

थाना – जनपदीय पुलिस

➤ ऑपरेशन CyVajra अभियान के अंतर्गत बहराइच पुलिस द्वारा 13 साइबर अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट की बड़ी कार्यवाही ।

➤ गैंगस्टर एक्ट से संबंधित कुल 07 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार ।

दिनांक – 10.09.2026

मु0अ0सं0 व धारा –

मु0अ0सं0 406/2026 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम थाना दरगाह शरीफ

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. मो0 आमिर पुत्र महफूज खान उम्र करीब 26 वर्ष निवासी चांदपुरा थाना को0नगर जनपद बहराइच,
2. रामजी यादव पुत्र राम मूरत यादव उम्र करीब 35 वर्ष निवासी मोहल्ला बशीरगंज थाना को0नगर जनपद बहराइच,
3. सौरभ मिश्रा पुत्र आनन्द मिश्रा उम्र करीब 20 वर्ष निवासी छोटी बाजार थाना को0 नगर जनपद बहराइच,
4. फहीम पुत्र साकिर अली उम्र करीब 28 वर्ष निवासी नाजिरपुरा नई बस्ती थाना को0नगर जनपद बहराइच
5. साहिल बेग पुत्र वकील बेग उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम परशुरामपुर थाना फखरपुर जनपद बहराइच
6. सत्येन्द्र कुमार चौहान पुत्र हरिश्चन्द्र नि० मलुहा भकुरहा थाना मटेरा जनपद बहराइच
7. संतोष सिंह पुत्र रानावीर सिंह नि० टेंडवा बसंतपुर थाना को0 देहात जनपद बहराइच

विवरण-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन CyVajra के अंतर्गत जनपद बहराइच पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड संबंधी शिकायतों पर कठोर एवं त्वरित कार्यवाही करते हुए विभिन्न थानों में अभियोग पंजीकृत करते हुए साइबर अपराधियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया । जनपद के ऐसे साइबर अपराधी, जो संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ हेतु कमजोर एवं बेरोजगार व्यक्तियों तथा परिचितों के बैंक खातों एवं एटीएम संबंधी जानकारी प्राप्त कर षड्यंत्रपूर्वक साइबर फ्रॉड करते हैं तथा साइबर अपराध करने के अभ्यस्त हैं, ऐसे कुल 13 साइबर अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार गैंग चार्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट महोदय, बहराइच से अनुमोदन उपरान्त थाना दरगाह शरीफ पर उक्त 13 साइबर अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मु0अ0सं0 406/2026, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत अभियोग की विवेचना के क्रम में आज दिनांक 10.09.2026 को विभिन्न थानों की गठित संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों की गतिविधियों एवं उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए गैंगस्टर एक्ट के वांछित 07 साइबर अभियुक्त 1. मो0 आमिर पुत्र महफूज खान उम्र करीब 26 वर्ष निवासी चांदपुरा थाना को0नगर जनपद बहराइच, 2. रामजी यादव पुत्र राम मूरत यादव उम्र करीब 35 वर्ष निवासी मोहल्ला बशीरगंज थाना को0नगर जनपद बहराइच, 3. सौरभ मिश्रा पुत्र आनन्द मिश्रा उम्र करीब 20 वर्ष निवासी छोटी बाजार थाना को0 नगर जनपद बहराइच, 4. फहीम पुत्र साकिर अली उम्र करीब 28 वर्ष निवासी नाजिरपुरा नई बस्ती थाना को0नगर जनपद बहराइच 5. साहिल बेग पुत्र वकील बेग उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम परशुरामपुर थाना फखरपुर जनपद बहराइच 6. सत्येन्द्र कुमार चौहान पुत्र हरिश्चन्द्र नि० मलुहा भकुरहा थाना मटेरा जनपद बहराइच 7. संतोष सिंह पुत्र रानावीर सिंह नि० टेंडवा बसंतपुर थाना को0 देहात जनपद बहराइच को गिरफ्तार किया गया तथा विधिक प्रक्रिया अनुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय बहराइच रवाना किया गया ।

गिरफ्तारी टीम:-

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री विजेन्द्र कुमार मिश्रा थाना को0 नगर बहराइच
- 2.नि0अ0 श्री जयराम यादव को0 नगर बहराइच
- 3.उ0नि0 श्री शिवम कनौजिया को0 नगर बहराइच
- 4.उ0नि0 श्री रवि कुमार यादव को0 नगर बहराइच
- 5.उ0नि0 श्री धीरेन्द्र कुमार को0 नगर बहराइच
- 6.उ0नि0 श्री जितेन्द्र यादव थाना मटेरा जनपद बहराइच
- 7.उ0नि0 श्री अभय पाण्डेय को0 देहात जनपद बहराइच
- 8.हे0का0 जय प्रकाश यादव को0 नगर बहराइच
- 9.का0 आदित्य को0 नगर बहराइच
- 10.हे0का0 चालक रामेश्वर तिवारी मय सरकारी वाहन चालक सूमो
11. कां० विपुल यादव के थाना को0 देहात जनपद बहराइच
- 12.कां० सुनील मिश्रा थाना मटेरा जनपद बहराइच
- 13.कां० अरविन्द वर्मा थाना मटेरा जनपद बहराइच

थाना – रिसिया

- चोरी के उपकरण के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी करने के उपकरण, साइकिल व नशीला पदार्थ 34 ग्राम बरामद

दिनांक – 10.09.2026

मु0अ0सं0 व धारा – मु.अ.स. 266/2026 धारा 313, 317(2), 317(4) BNS व धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना रिसिया जनपद बहराइच

गिरफ्तार अभियुक्त –

- 1-बीरबल पुत्र राम फेरन चौहान निवासी कटिलिया थाना रिसिया जनपद बहराइच
- 2-इश्तेखार पुत्र मजीद निवासी कटिलिया चौराहा थाना रिसिया जनपद बहराइच

बरामदगी –

चोरी किए जाने के उपकरण

एक अदद लोहे की सरिया

एक अदद लोहे की आरी

एक अदद पिलास,

एक अदद नुकीली सरिया

एक अदद छोटा पेचकस

एक अदद लोहे का रिन्च

तीन अदद चाभी का गुच्छा

एक अदद चोरी की साइकिल

20 स्ट्रीप एल्प्राजोलम नशीली गोली 10 ग्राम

दो पुड़िया नशीली पाउडर वजन करीब 34 ग्राम

विवरण-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बहराइच श्री विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु व अपहृताओं की बरामदगी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) श्री आयुष विक्रम सिंह, क्षेत्राधिकारी पयागपुर श्रीमती हर्षिता तिवारी के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना रिसिया श्री करुणाकर पान्डेय के नेतृत्व में पुलिस टीम को मिली सफलता।

थाना स्थानीय पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान व प्राप्त सूचना के आधार पर 02 संदिग्ध व्यक्तियों को चोरी के उपकरणों के साथ चोरी की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से नशीला पदार्थ, साइकिल, चोरी के उपकरण बरामद किये गये जिसके आधार थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 266/2026 धारा 313, 317(2), 317(4) BNS व धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना रिसिया जनपद बहराइच बनाम 1- हिस्ट्रीशीटर बीरबल पुत्र राम फेरन चौहान निवासी कटिलिया थाना रिसिया जनपद बहराइच, 2- इश्तेखार पुत्र मजीद निवासी कटिलिया चौराहा थाना रिसिया जनपद बहराइच पंजीकृत कर अभियुक्तगण को अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु संबंधित मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीम:-

- o 1.उ०नि० श्री आनन्द कुमार
- o 2.हे०का० रविन्द्र नाथ चौधरी
- o 3.का० कुलदीप कुमार थाना रिसिया जनपद बहराइच

थाना – रूपईडीहा

एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक – 13.09.2026

मु0अ0सं0 व धारा – मु0अ0सं0 - 237/2026 धारा 8/21 NDPS ACT थाना रूपईडीहा जनपद बहराइच

गिरफ्तार अभियुक्त –

राम जी सोनी पुत्र कृष्ण कुमार सोनी निवासी स्टेशन रोड रूपईडीहा थाना रूपईडीहा जनपद बहराइच उम्र करीब 35 वर्ष

विवरण-

दिनांक 07.09.2026 को थाना रूपईडीहा पुलिस व SSB की संयुक्त टीम द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु थाना रूपईडीहा क्षेत्रान्तर्गत दशहरा बाग में दिनांक 06.09.2026 को समय 23.55 बजे अभियुक्ता शकीला बीबी पत्नी मो0 इस्लाम उर्फ लालबादशाह उम्र करीब 40 वर्ष निवासी दशहरा बाग, नई बस्ती थाना रूपईडीहा जनपद बहराइच के कब्जे से 116 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद करते हुए गिरफ्तार किया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 237/2026 धारा 8/21 NDPS ACT पंजीकृत कर अभियुक्ता को माननीय न्यायालय बहराइच रवाना किया गया था।

इसी क्रम में उक्त अभियोग से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के तहत आज दिनांक 13.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त राम जी सोनी पुत्र कृष्ण कुमार सोनी निवासी स्टेशन रोड रूपईडीहा थाना रूपईडीहा जनपद बहराइच उम्र करीब 35 वर्ष को रामदूत क्लार्क स्टोर के पास, स्टेशन रोड कस्बा रूपईडीहा से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरांत माननीय न्यायालय बहराइच रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीम:-

1. उ0नि0 श्री भीम सिंह
2. उ0नि0 श्री दिलीप कुमार
3. उ0नि0 श्री नरेन्द्र गुप्ता
4. आ0 विपिन गौड़
5. आ0 आरक्षी गणेश पाण्डेय

थाना – खैरीघाट व स्नॉट

ऑपरेशन CyVajra अभियान के अंतर्गत बहराइच पुलिस की साइबर अपराधियों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही

- लोन दिलाने का झांसा देकर खुलवाते थे बैंक खाते
- बैंक खातों का दुरुपयोग कर ऐसे बैंक खातों में साइबर फॉड का पैसा मंगाने वाले 03 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार
- विभिन्न बैंकिंग दस्तावेज, 09 मोबाइल, 01 कार, ₹3,90,000 नगदी बरामद

दिनांक – 18.09.2026

मु0अ0सं0 व धारा –

मु0अ0सं0 319/26 व 320/26 धारा 318(4), 308(5), 352, 351(3) बीएनएस व 66D आईटी एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. सुफियान पुत्र अय्यूब निवासी सिघापुरवा थाना रिसिया जनपद बहराइच ।
2. समीर अहमद पुत्र जमील अहमद निवासी आजाद नगर थाना रिसिया जनपद बहराइच
3. कृष्ण मुरारी प्रसाद पुत्र भगत प्रसाद निवासी सिकन्दरा जिला नवादा बिहार ।

बरामदगी –

09 मोबाइल फोन

07 आधार कार्ड

25 एटीएम कार्ड

14 चेकबुक

01 डीएल

01 पैन कार्ड

01 पासबुक

12 विजिटिंग कार्ड

01 बैग

01 वैगनार कार संख्या UP32HY0395

₹3,90,000 नगद

विवरण-

थाना हरदी पुलिस को दिनांक 15/16.09.2026 को वादी प्रमुख पुत्र दूजी नि0 ग्राम सिसैय्या चूड़ामणि थाना हरदी बहराइच तथा नारायण वर्मा पुत्र परमेश्वर निवासी सिकन्दरपुर थाना हरदी बहराइच द्वारा तहरीर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि विपक्षीगण ने लोन कराने के नाम पर कूटरचित ढंग से उसका विभिन्न बैंकों में खाता खुलवाया तथा उक्त खाते में उनके मोबाइल नंबर लिंक करा दिये। तत्पश्चात् अभियुक्तों ने वादी की पासबुक, एटीएम, चेकबुक, मोबाइल नम्बर अपने कब्जे में रखकर विभिन्न राज्यों के लोगों से साइबर ठगी की। वादी को इसकी जानकारी होने तथा इसका विरोध करने पर विपक्षीगण ने उनके साथ गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी दी तथा डरा-धमकाकर क्रमशः दोनों वादियों से ₹2,40,000 व ₹4800 भी उनके बैंक खातों से निकलवा लिए। उक्त तहरीर के आधार पर थाना हरदी में

क्रमशः मु0अ0सं0 319/26 व 320/26 धारा 318(4), 308(5), 352, 351(3) बीएनएस व 66D आईटी एक्ट बनाम 1.सुफियान पुत्र मो0अय्यूब, 2.समीर अहमद पुत्र जलील अहमद 3.कृष्णा मुरारी प्रसाद पुत्र भगत प्रसाद पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक बहराइच श्री विश्वजीत श्रीवास्तव द्वारा थाना खैरीघाट पुलिस व स्वाॅट की संयुक्त टीम गठित की गयी तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये । जिसके क्रम में गठित संयुक्त पुलिस टीम द्वारा विवेचना के क्रम में प्राप्त इलेक्ट्रानिक सूत्रों व मुखबिर की सूचना पर मुकदमें के वांछित तीनों अभियुक्तों को राजापुर मोहल्ला, हाईवे किनारे से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 09 मोबाइल फोन, 07 आधार कार्ड, 25 एटीएम कार्ड, 14 चेकबुक, 01 डीएल, 01 पैन कार्ड, 01 पासबुक, 12 विजिटिंग कार्ड, 01 बैग, 01 वैगनार कार तथा ₹3,90,000 नगद बरामद कर आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तारी टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार सिंह
2. निरीक्षक श्री जयपाल सिंह
3. वरिष्ठ उ0नि0 श्री ओम नारायण मिश्रा
4. का0 निखिल कुमार सिंह
5. का0 सक्षम सिंह
6. का0 रामआशीष चौरसिया
7. का0 आयुष सिंह
8. का0 शुभम सिंह प्रथम

स्वाॅट टीम-

1. निरीक्षक स्वाट श्री राकेश कुमार सिंह
2. उ0नि0 श्री राशिद अली
3. उ0नि0 श्री पूर्णेश नारायण पाण्डेय
4. उ0नि0 श्री अभिषेक सिंह
5. हे0का0 प्रदीप कुशवाहा
6. हे0का0 अजीत सिंह
7. हे0का0 प्रदीप कुमार
8. का0 नरोत्तम पुरी
9. का0 रचित यादवेन्द्र

थाना – दरगाह शरीफ

- ब्लैकमेलिंग कर महिला से जबरन वसूली का आरोपी गिरफ्तार
- ₹2.5 लाख नगद, वसूली की धनराशि से क्रय की गयी 01 मोटरसाइकिल, 01 एसी, 01 टीवी बरामद

दिनांक – 18.09.2026

मु0अ0सं0 व धारा –

मु0अ0सं0 418/2026 धारा 308(5)/351(3) बी0एन0एस0- थाना दरगाह शरीफ बहराइच

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. हिमांशु तायल उर्फ शमी पुत्र सुभाष तायल निवासी फत्तेपुरा निकट डालमियां धर्मशाला थाना कोतवाली नगर जनपद बहराइच

बरामदगी –

1. 2,50,000/- रुपया नगद
2. एक अदद मोटर साइकिल HF Delux Plus UP 40 BQ 3767
3. एक अदद Daikin 1.5T 3* Inverter
4. एक अदद LED TV सैमसंग कम्पनी

विवरण-

दिनांक 16.09.2026 को वादी की तहरीरी सूचना कि विपक्षी हिमांशु तायल उर्फ शमी पुत्र सुभाष तायल निवासी फत्तेपुरा, निकट डालमियां धर्मशाला, थाना कोतवाली नगर, जनपद बहराइच द्वारा वादी की पत्नी का वजन कम करने की बात कहकर उसके आपत्तिजनक फोटो प्राप्त किये गये तथा फोटो वायरल करने एवं वादी के लड़के को जान से मारने की धमकी देकर वादी की पत्नी से कुल ₹5,20,000/- की धनराशि वसूल की गयी तथा ₹10,00,000/- अतिरिक्त की मांग की जा रही। उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक बहराइच श्री विश्वजीत श्रीवास्तव द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं उसके द्वारा वसूली गयी धनराशि की शीघ्र बरामदगी हेतु थाना स्थानीय पर 02 पुलिस टीमों का गठन किया गया। इसी क्रम में दिनांक 17.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन, बहराइच के पास से अभियुक्त हिमांशु तायल को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से ₹1,00,000/- नगद एवं 02 अदद मोबाइल फोन बरामद किये गये जिसमें उक्त आपत्तिजनक फोटो भी पाई गयी।

अभियुक्त से वादी की पत्नी से वसूली गयी शेष धनराशि के सम्बन्ध में कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त की निशानदेही पर उसके घर से ₹1,50,000/- नगद तथा वसूली गयी धनराशि से क्रय की गयी 01 अदद एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल, 01 अदद डैकिन एसी एवं 01 अदद सैमसंग एलईडी टीवी बिल सहित बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय, बहराइच रवाना किया जा रहा है।

गिरफ्तारी टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री अमितेन्द्र सिंह
2. वरि०उ०नि० श्री चन्द्र प्रताप सिंह
3. उ०नि० श्री पंकज चौरसिया
4. हे०का० मृत्युंजय
5. हे०का० अंगद राय
6. का० विवेक यादव

थाना – कैसरगंज

- गैंगस्टर एक्ट से संबंधित ₹25,000 का पुरस्कार घोषित वांछित अपराधी गिरफ्तार
- अभियुक्त के विरुद्ध चोरी का लम्बा आपराधिक इतिहास

दिनांक – 20.09.2026

मु0अ0सं0 व धारा –

मु0अ0सं0 291/2026, धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त –

सीताराम पुत्र जियालाल उम्र करीब 38 वर्ष निवासी धोबियनपुरवा गो0नं0- 01 थाना कैसरगंज बहराइच

विवरण-

पुलिस अधीक्षक बहराइच श्री विश्वजीत श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 16.09.2026 को मु0अ0सं0 291/2026, धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट, थाना कैसरगंज, जनपद बहराइच से संबंधित वांछित गैंगस्टर अभियुक्त सीताराम पुत्र जियालाल, उम्र करीब 38 वर्ष, निवासी धोबियनपुरवा गो0नं0-01, थाना कैसरगंज, जनपद बहराइच के विरुद्ध ₹25,000/- का पुरस्कार घोषित किया गया था।

उक्त के क्रम में थाना कैसरगंज पुलिस टीम द्वारा दिनांक 20.09.2026 को पुरस्कार घोषित वांछित गैंगस्टर अभियुक्त सीताराम उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय बहराइच रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीम:-

1. थानाध्यक्ष कैसरगंज श्री राजकुमार पाण्डेय
2. उ0नि0 श्री भानू प्रताप सिंह
3. हे0का0 स्वामीनाथ खरवार
4. हे0का0 राजवीर सिंह
5. का0 सौम्य श्रीवास्तव
6. का0 अभिषेक तिवारी
7. का0 जंग बहादुर वर्मा

थाना – रूपईडीहा

वाहन चोरी में संलिप्त शातिर अपराधियों से पुलिस मुठभेड़ 01 अभियुक्त घायल,
02 अन्य गिरफ्तार, चोरी के 12 वाहन बरामद

- थाना रूपईडीहा क्षेत्र में शातिर अपराधियों से हुई रूपईडीहा पुलिस की मुठभेड़।
- एक अपराधी के पैर में लगी गोली व उसके दो साथी अपराधी गिरफ्तार।
- अभियुक्तों के विरुद्ध भारत व नेपाल राष्ट्र में कई अभियोग पंजीकृत।
- चोरी के 12 वाहन, 01 अवैध पिस्टल, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

दिनांक – 23.09.2026

मु0अ0सं0 व धारा – 256/2026 धारा 109(1), 317(2), 317(4),3(5) बीएनएस, 3/25/27 आयुध अधिनियम, थाना रूपईडीहा बहराइच।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. अब्दुल उर्फ अब्दुल सलाम पुत्र बाबू उर्फ जलील खान निवासी सीतापुरवा सहजना थाना रूपईडीहा जनपद बहराइच

2. राजू जसगढ़ पुत्र मकबूल जसगढ़ निवासी नेपाल गंज जिला बाके नेपाल राष्ट्र

3. मोहमद जुनेद पुत्र मोहमद उमर निवासी नेपाल गंज जिला बाके नेपाल राष्ट्र बरामदगी –

- 12 अदद चोरी की मोटरसाइकिल
- 01 पिस्टल 7.65 MM
- 01 जिन्दा कारतूस 7.65 MM
- 01 खोखा कारतूस 7.65 MM

विवरण- दिनांक 22/23.09.2026 की रात्रि मे प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र कुमार मिश्र थाना रूपईडीहा मय हमराह रूपईडीहा से बाबागंज जाने वाले मार्ग पर भ्रमणशील थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि कुछ अपराधी चोरी के मोटरसाइकिल के साथ जैतापुर से चिकनिया जाने वाले रास्ते से होकर नेपाल जाने के फिराक मे है, इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मय हमराहीयान जैतापुर से चिकनिया जाने वाले रास्ते पर पहुंच कर आने वाले मोटरसाइकिल सवार का इंतजार करने लगे तभी 02 मोटरसाइकिल पर तीन व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो मोटरसाइकिल मोड़ कर भागने का प्रयास किये कि पुलिस पार्टी से अपने आप को घिरा देख कर पुलिस पार्टी पर फायर किये पुलिस पार्टी द्वारा अपने आत्मरक्षार्थ फायर किया गया जिसमे एक व्यक्ति पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया जिसका नाम अब्दुल उर्फ अब्दुल सलाम पुत्र बाबू उर्फ जलील खां निवासी सीतापुरवा सहजना थाना रूपईडीहा जनपद बहराइच जिसके कब्जे से एक पिस्टल 7.65 MM और एक अदद चोरी की मोटर साइकिल बजाज पल्सर बरामद हुआ उसके दो अन्य साथी मौके से फरार हो गए, घायल बदमाश को उपचार हेतु हॉस्पिटल भेजा गया। पुलिस पार्टी द्वारा कुछ समय के उपरांत फरार दोनों अपराधियों 1.राजू जसगढ़ पुत्र मकबूल जसगढ़ व 2.मोहमद जुनेद पुत्र मोहमद उमर निवासीगन नेपाल गंज जिला बाके नेपाल राष्ट्र को रंजीत बोझा जंगल में चोरी की मोटरसाइकिल

सहित पकड़ लिया गया। अभियुक्तगण की निशानदेही पर कुल 10 अन्य चोरी की मोटर साईकिल बरामद कर गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी टीम:-

- | | |
|--|------------------------|
| 1. थानाध्यक्ष श्री हरेन्द्र कुमार मिश्रा | 7. हे०का० विनय पाण्डेय |
| 2. अपराध निरीक्षक श्री गणेश तिवारी | 8. का० इन्द्रेश यादव |
| 3. व०उ०नि० श्री अजीत प्रताप सिंह | 9. का० अखिलेश कुमार |
| 4. उ०नि० श्री अजय कुमार | 10. का० झलक मिश्रा |
| 5. उ०नि० श्री दिलीप कुमार गुप्ता | 11. का० सुरेश कुमार |
| 6. उ०नि० मानवेन्द्र प्रताप सिंह | |

थाना – कैसरगंज
अवैध चाकू के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक – 23.09.2026

मु0अ0सं0 व धारा –

मु0अ0सं0- 316/2026 धारा 4/25 A. ACT थाना कैसरगंज जनपद बहराइच

गिरफ्तार अभियुक्त –

अतीक मंसूरी पुत्र अजीज निवासी बैराकाजी कोटवा थाना कैसरगंज जनपद बहराइच उम्र करीब 48 वर्ष ।

बरामदगी –

01 अदद नाजायज चाकू

विवरण- आज दिनांक 22.09.2026 को पुलिस अधीक्षक बहराइच श्री विश्वजीत श्रीवास्तव के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के रोकथाम एवं वांछित /वारण्टी एवं जिला बदर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये दिशा निर्देश के क्रम में व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री आयुष विक्रम सिंह व क्षेत्राधिकारी कैसरगंज श्री धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में थानाध्यक्ष श्री राजकुमार पाण्डेय के नेतृत्व में थाना कैसरगंज पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान 01 नफर अभियुक्त अतीक मंसूरी पुत्र अजीज निवासी बैराकाजी कोटवा थाना कैसरगंज जनपद बहराइच उम्र करीब 48 वर्ष को 01 अदद नाजायज चाकू के साथ अन्तर्गत धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 में गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 316/2026 धारा 4/25 A. ACT पंजीकृत किया गया तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी टीम:-

का0 ओम प्रकाश पाण्डेय

का0 चन्द्रभान यादव

का0 प्रशान्त यादव

थाना कैसरगंज बहराइच।

थाना – रामगांव

अदद पिस्टल व 01 अदद जिंदा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार

दिनांक – 23.09.2026

मु0अ0सं0 व धारा – मु0अ0स0 350/2026 धारा 3/25 Arms Act.

गिरफ्तार अभियुक्त –1.आयुष दूबे उर्फ हर्षित दूबे पुत्र भुपेन्द्र दूबे उम्र करीब 21 वर्ष निवासी शोभापुरवा निकट चांदमारी थाना कोतवाली देहात जनपद बहराइच

बरामदगी – 01 नाजायज पिस्टल व 01 अदद जिंदा कारतूस

विवरण-

पुलिस अधीक्षक बहराइच श्री विश्वजीत श्रीवास्तव द्वारा पूर्व से वांछित चल रहे अभियुक्तों व वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये दिशा निर्देश के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री दुर्गा प्रसाद तिवारी व क्षेत्राधिकारी महसी श्री धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में थानाध्यक्ष श्री दिवाकर तिवारी के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 श्री राणाराज सिंह मय हमराह कां0 विष्णु प्रताप सिंह, कां0 सुरेन्द्र वर्मा, कां0 सोनू यादव व कां0 आशुतोष प्रजापति के द्वारा अभियुक्त आयुष दूबे उर्फ हर्षित दूबे पुत्र भुपेन्द्र दूबे उम्र करीब 21 वर्ष निवासी शोभापुरवा निकट चांदमारी थाना कोतवाली देहात जनपद बहराइच मय एक किता फर्द मय एक अदद अवैध पिस्टल व 01 अदद जिंदा कारतूस के साथ रसूलीचक मोड़ दा0 बेगमपुर बाफासला दूरी 09 कि0मी0 दिशा उत्तर के पास से हिरासत पुलिस में लिया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 350/2026 धारा 3/25 Arms Act. थाना रामगांव जनपद बहराइच किया गया। अभियुक्त उपरोक्त की गिरफ्तारी के समय मानवाधिकार आयोग व उच्चतम न्यायालय के आदेशों निर्देशों का पालन किया गया। गिरफ्तार शुदा अभि0 उपरोक्त को सम्बन्धित माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीम:-

थाना प्रभारी श्री दिवाकर तिवारी

उ0नि0 श्री राणा राज सिंह

का0 विष्णु प्रताप सिंह

का0 सुरेन्द्र वर्मा

का0 सोनू यादव

का0 आशुतोष प्रजापति

थाना रामगांव जनपद बहराइच

थाना – रामगांव
चोरी के मुकदमें से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक – 23.09.2026

मु0अ0सं0 व धारा – मु0अ0सं0 352/2026 धारा 303(2)/317(2)/318(4) बीएनएस

गिरफ्तार अभियुक्त – हिमांशू पाल पुत्र रामदेव पाल उम्र करीब 22 वर्ष निवासी चंदापुरवा दा0 बंगलाचक थाना रिसिया जनपद बहराइच

बरामदगी – अभियुक्त के पास से 01 अदद मोटर साइकिल वाहन

विवरण- पुलिस अधीक्षक बहराइच श्री विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) महोदय श्री दुर्गा प्रसाद तिवारी एवं क्षेत्राधिकारी महसी महोदय श्री पवन कुमार त्यागी के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री दिवाकर तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 352/2026 धारा 303(2)/317(2)/318(4) बीएनएस थाना रामगांव जनपद बहराइच से सम्बन्धित अभियुक्त हिमांशू पाल पुत्र रामदेव पाल उम्र करीब 22 वर्ष निवासी चंदापुरवा दा0 बंगलाचक थाना रिसिया जनपद बहराइच को समय 04.27 बजे हिरासत पुलिस लिया गया । गिरफ्तारी के समय मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया ।

गिरफ्तारी टीम:-

उ0नि0 हेमन्त कुमार सिंह

उ0नि0 मैनेजर सिंह

का0 अतुल पाण्डेय

का0 सोनू यादव

थाना रामगांव जनपद बहराइच

थाना – फखरपुर

अन्तर्राज्यीय वाहन चोर व लुटेरे गिरोह पर बहराइच पुलिस का जीरो टॉलरेन्स, मुठभेड़ में 01 शातिर घायल व दूसरा गिरफ्तार, अवैध तमंचा, कारतूस, चोरी की बाइक व लूट का सामान बरामद

- जनपद बहराइच में चैन स्नैचिंग की घटना का 72 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण।
- यक्ष ऐप बना अपराधियों तक पहुंचने का अहम जरिया, इंटरसेप्टर मोबाइल कैमरे से मिली फोटो के आधार पर बहराइच पुलिस ने किया खुलासा।
- देर रात क्राइम ब्रांच की स्नॉट टीम व थाना फखरपुर की संयुक्त टीम की शातिर अपराधी से पुलिस मुठभेड़।
- चैन स्नैचिंग की घटना कारित करने वाले अभियुक्त के पैर में लगी गोली, दूसरा साथी अपराधी भी गिरफ्तार।
- दोनों का आधा दर्जन से अधिक मुकदमों का आपराधिक इतिहास।

दिनांक – 25.09.2026

मु0अ0सं0 व धारा –01. मु0अ0सं0 400/2026 धारा 109(1),336(2),338,340(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट
थाना फखरपुर जनपद बहराइच

02. मु0अ0सं0 399/26 धारा 304,317(4) BNS थाना फखरपुर जनपद बहराइच

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. सलमान पुत्र सलीम उम्र करीब 22 वर्ष
2. आरिफ उर्फ तस्लीम पुत्र सलीम उम्र करीब 24 वर्ष

निवासीगण ग्राम उज्जैनी जमाल मौजा जमदरा थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा व दूसरा पता मोहल्ला मेवातियान थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा वर्तमान पता मोहल्ला नाजिरपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद बहराइच

बरामदगी –

1. 01 अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर, नाल में फसा हुआ 01 अदद फायर कारतूस 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर
2. 01 अदद लाकेट पीली धातु छिनैती की गई सम्बन्धित मु0अ0सं0 399/26 धारा 304,317(4) BNS थाना फखरपुर जनपद बहराइच
3. एक अदद मोटर साइकिल आपाचे चोरी की सम्बन्धित थाना कोतवाली देहात जनपद बहराइच
4. दो अदद मोबाइल फोन
5. एक हजार रुपये नगद

विवरण- दिनांक 21.09.2026 को थाना फखरपुर में कोठारा गांव दा0 परसेंडी व चिशती धर्म कांटा के पास पीछे से दो अज्ञात बाइक सवार द्वारा ई रिक्शा से जा रही एक महिला से मंगल सूत्र की छिनैती की घटना से संबंधित प्रकरण में

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना फखरपुर पर मु0अ0सं0 399/2026 धारा 304 बीएनएस पंजीकृत कराया गया। पुलिस अधीक्षक बहराइच द्वारा टीमों का गठन करते हुए घटना के शीघ्र अनावरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। पुलिस टीमों को ट्रैफिक की इंटरसेप्टर मोबाइल के कैमरे से घटना से संबंधित अपराधियों की घटना के बाद की फोटो मिलने पर यक्ष ऐप और मुखबिरों की मदद से अपराधियों के विषय में बेहद अहम सुराग दोनों अपराधियों के विषय में मिले और पता चला कि ये दोनों अपराधी सलमान और उसका भाई आरिफ हैं जो जनपद गोंडा के मूल निवासी हैं। पुलिस टीमें लगातार इन अपराधियों की तलाश कर रही थी, इसी क्रम में दिनांक 24.09.2026 की रात्रि को क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम व थाना फखरपुर पुलिस की संयुक्त टीम को मुखबिर खास के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ये दोनों बदमाश मोटरसाइकिल से दिबियापुर की ओर से भागला चौराहे की तरफ आ रहे हैं जो किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना के आधार पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा बदमाशों की तलाश एवं गिरफ्तारी हेतु गांधी घाट भागल गांव के पास पहुंचने पर सामने से एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी, जिस पर दो व्यक्ति सवार थे। पुलिस टीम द्वारा मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया गया तो उसमें से एक व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर जानलेवा हमले की नियत से फायर कर दिया गया, आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा किए गए जवाबी फायर की कार्यवाही में एक अपराधी को गोली दाँये पैर में लगी और वह गिर गया जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और भाग रहे दूसरे अपराधी को भी दौड़ाकर पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया। पूछताछ से घायल अपराधी सलमान पुत्र सलीम निवासी उज्जैनी जमाल मौजा जामदरा, थाना कोतवाली देहात जनपद गोंडा, हाल पता मोहल्ला नाजीरपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद बहराइच के रूप में हुई, जिसको उपचार हेतु सीएचसी फखरपुर रवाना किया गया तथा दूसरे पकड़े गए अपराधी की पहचान आरिफ उर्फ तस्लीम पुत्र सलीम निवासी उपरोक्त के रूप में हुई। इनके कब्जे से एक देशी तमंचा 12 बोर, एक अदद खोखा 12 बोर, एक जिंदा कारतूस 12 बोर व एक चोरी की मोटरसाइकिल अपाचे काले रंग की फर्जी नंबर प्लेट(UP43 N8838) व एक मंगल सूत्र पीलीधातु बरामद हुआ। दोनों अपराधियों का लंबा आपराधिक इतिहास है। मौके पर पुलिस अधीक्षक बहराइच श्री विश्वजीत श्रीवास्तव एवं अन्य अधिकारीगण द्वारा पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में अन्य वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी टीम:-

थाना फखरपुर

1. प्र0नि0 श्री राम कुमार राजभर
2. हे0कां0 स्वतंत्र विक्रम सिंह
3. कां0 अनिल यादव
4. कां0 अंकुर यादव
5. उ0नि0 श्री सर्वजीत गुप्ता
6. हे0कां0 प्रमोद कुमार सिंह
7. कां0 जयप्रकाश

स्वाट टीम

01. निरीक्षक श्री राकेश सिंह
02. उ०नि० श्री पूर्णेश नारायण पाण्डेय
03. हे०का० प्रदीप कुशवाहा
04. हे०का० राजेन्द्र यादव
05. हे०का० सुधीर यादव
06. हे०का० अजीत सिंह
07. हे०का० अखतर
08. का० धर्मेन्द्र कुमार

थाना – मोतीपुर

जनपद बहराइच में गोकशी की घटना का सफल अनावरण, पुलिस मुठभेड़ में 01 अपराधी के पैर में लगी गोली, 03 अभियुक्त गिरफ्तार ।

- देर रात थाना मोतीपुर क्षेत्र में पुलिस टीम की शांतिर अपराधियों से हुई पुलिस मुठभेड़ ।
- गोकशी की घटना कारित करने वाले 01 अपराधी के पैर में लगी गोली, अन्य 02 साथी अपराधी भी गिरफ्तार ।
- घायल अभियुक्त का है गोकशी के मुकदमों का आपराधिक इतिहास ।
- अभियुक्तों के कब्जे से 01 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस, 1940 रुपये नगद, 01 मोटर साइकिल, 01 तराजू मय बाट (01 किलो एवं 500 ग्राम), 01 लकड़ी का ठीहा तथा 03 अदद चाकू बरामद ।

दिनांक – 28.09.2006

मु0अ0सं0 व धारा – मु0अ0सं0 418/26 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना मोतीपुर जनपद बहराइच ।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. सोनू पुत्र मुल्ला उम्र करीब 25 वर्ष निवासी बालापुर थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच ।
2. शहजाद उर्फ कलूटे पुत्र रमजान उम्र 35 वर्ष निवासी उचवा दा0 बालापुर थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच।
3. सोनू पुत्र भुसैली उम्र करीब 30 वर्ष निवासी खैरी दा0 शाहपुर खुर्द थाना मोतीपुर जनपद बहराइच ।

बरामदगी –

1. अभियुक्त सोनू पुत्र मुल्ला के पास से एक अदद तमंचा देशी 12 बोर व एक अदद खोका कारतूस नाल में फसा हुआ व 1 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर व पेंट के दाहिने जेब से 1940 रु0 नकद व एक अदद मोटर साइकिल हीरो सीडी डाना।
02. अभियुक्त शहजाद उर्फ कलूटे पुत्र रमजान के पास से एक प्लास्टिक के बोरे में ठीहा और 03 अदद चाकू ।
03. अभियुक्त सोनू पुत्र भुसैली के पास से एक रंगीन कपड़े में तराजू व दो बाट (01kg, 500gm) ।

विवरण- दिनांक 24.09.2026 को थाना मोतीपुर के ग्राम शाहपुर खुर्द में गोवंश के कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे । इस सूचना पर थाना मोतीपुर में मु0अ0सं0 418/2026 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया था । जिसके अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक बहराइच श्री विश्वजीत श्रीवास्तव द्वारा तीन टीमों का गठन किया गया था। विवेचना के क्रम में कुछ अपराधियों का नाम प्रकाश में आया था। दिनांक 27/28.09.2026 की रात में मुखबिर खास द्वारा प्रभारी निरीक्षक मोतीपुर को सूचना मिली कि यही अपराधी पुनः इसी प्रकार की घटना मोतीपुर क्षेत्र में कारित करने के फिराक में हैं और लौकही की तरफ जाने वाले हैं । इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मोतीपुर और उनकी पुलिस टीम द्वारा गोपिया बैराज मार्ग स्थित बाढ़ राहत केन्द्र बन्धा मोड़ कंजड़वा के पास संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी । कुछ समय बाद गायघाट की ओर से एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये । पुलिस टीम द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उक्त व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गयी । पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ में की गयी जवाबी कार्यवाही में एक अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी,

जबकि दो अन्य अभियुक्तों को पुलिस टीम द्वारा घेरकर पीछा करते हुए पकड़ लिया गया। अभियुक्तों से पूछताछ में घायल अभियुक्त ने अपना नाम सोनू पुत्र मुल्ला निवासी बालापुर थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच, दूसरे ने अपना नाम शहजाद उर्फ कलूटे पुत्र रमजान निवासी उचवा बालापुर थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच तथा तीसरे ने अपना नाम सोनू पुत्र भुसैली निवासी खैरी दा0 शाहपुर खुर्द थाना मोतीपुर जनपद बहराइच बताया। अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद तमंचा, 01 अदद जिन्दा कारतूस, 1940 रुपये नगद, 01 मोटरसाइकिल, 01 अदद तराजू मय बाट (01 किलो एवं 500 ग्राम), मांस काटने वाला 01 अदद लकड़ी का ठीहा तथा 03 अदद चाकू बरामद किये गये अभियुक्तों से गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मोतीपुर में मु0अ0सं0 421/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25, 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। घायल अपराधी सोनू के विरुद्ध पूर्व से गोकशी के कई मुकदमे दर्ज हैं उसे इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया। मौके पर पुलिस अधीक्षक बहराइच श्री विश्वजीत श्रीवास्तव एवं अन्य अधिकारीगण द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। घटना के सम्बन्ध में अन्य वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी टीम:-

01 प्रभारी निरीक्षक ब्रह्मा गौड़
02 उ0नि0 रंजीत भारती
03 उ0नि0 रोहित कुमार वर्मा
04 उ0नि0 संजीत सिंह
05 उ0नि0 अजेश कुमार
06 उ0नि0 राज किशोर
07 हे0का0 दयानन्द सिंह
08 हे0का0 अनन्त यादव

09 हे0का0 रविन्द्रनाथ मौर्य
10 हे0का0 राम सजीवन
11 का0 सूरज कुमार गौड़
12 का0 अमरेन्द्र गुप्ता
13 का0 जय प्रकाश
14 का0 अनूप कुमार मौर्या
15 का0 प्रेम प्रकाश

